उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, गढ़ीकैंट, देहरादून।
दूरभाष: 0135–2559898, फैक्स– 0135–2559988,
Website: Uttarakhandtourism.gov.in

संख्या– /2–2–208/2018 दिनांक: देहरादून 23 अप्रैल, 2018

सेवा में,

अनु सचिव,
सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– **सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत नागरिकों सिटीजन चार्टर का ड्राफ्ट निर्मित किये जाने विषयक।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग के पत्र संख्या–95/XLIII(2)/18-20(05)/16, दिनांक 18.04.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् से संबंधित नागरिक सिटीजन चार्टर का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग से संबंधित नागरिक सिटीजन चार्टर का ड्राफ्ट तैयार कर पत्र के साथ आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
कार्यालयाध्यक्ष।

पृ0प0सं0 90 /2018 समदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सुराज भ्रष्टाचार उम्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
2. निजी सचिव, सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निजी सचिव, अपर सचिव, सुराज भ्रष्टाचार उम्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

23/04

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
कार्यालयाध्यक्ष।

Uttarakhand
Simply Heaven!

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

का नागरिक घोषणा पत्र (चार्टर)

का ड्राफ्ट

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन

नीम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून

दूरभाषः 0135–2559898, फैक्सः 0135–2559898

वेबसाइटः www.uttarakhandtourism.gov.in

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन प्रदेश है, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन–तीर्थाटन स्थल के साथ–साथ राफ्टिंग एवं योगा गतिविधियों के लिये विश्व विख्यात है। प्रतिवर्ष देश–विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक यहां की सुरम्य वादियों, रमणीक स्थलों तथा नैसर्गिक सुन्दरता का लुत्फ उठाते हैं। उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आधारभूत जन–सुविधाओं को विकसित करते हुये विभिन्न टूरिस्ट डैस्टिनेशन को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की कवायद की जा रही है। प्रदेश में साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, मनोरंजन पर्यटन, नैसर्गिक व ईको पर्यटन तथा सांस्कृतिक पर्यटन की अपार सम्भावना को दृष्टिगत करते हुये इनके सुदृढ़ीकरण व अवस्थापना सुविधाओं पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा कार्य किया जा रहा है।

इस दिशा में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का प्रयास है कि विश्व के मानचित्र में उत्तराखण्ड को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में प्रतिस्थापित कर निजी क्षेत्र की सहभागिता से रोजगारपरक बहुमुखी विधाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित विकास कर देश का एक आदर्श मॉडल स्थापित किया जाये तथा आर्थिक व सामाजिक विकास की धुरी के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जन के लिये पर्यटन को उत्तराखण्ड का पर्याय बनाना भी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के नीति का उद्देश्य है।

(दिलीप जावलकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्
देहरादून।

1— विभागीय नीति

उत्तराखण्ड में पर्यटन के सुनियोजित, त्वरित एवं समेकित विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगारपरक बहुमुखी विधाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की धुरी के रूप में विदेशी मुद्रा–अर्जन के लिये पर्यटन को उत्तराखण्ड का पर्याय बनाना तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तराखण्ड को एक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करने की नीति के साथ ही निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया है–

1– संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

उत्तराखण्ड में संस्थागत व्यवस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रदेश में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद का गठन किया गया है। परिषद, पर्यटन से सम्बन्धित सभी विषयों पर शासन को सुझाव देने हेतु सर्वोच्च संस्था हैं। पर्यटन विकास के अतिरिक्त परिषद् रेगुलेटरी तथा लाईसेन्सिंग अथॉरिटी के रूप में भी कार्य कर रही है तथा पर्यटन विकास के विभिन्न तकनीकी कार्यो के लिये कन्सल्टैन्सी सेवायें प्राप्त की जा रही है।

2–अवस्थापना सुविधाओं का विकास

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा स्वयं, भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजनाओं एवं बाह्य सहायतित योजना (ADB) के अन्तर्गत संसाधन जुटाने के साथ–साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। पर्यटन विकास के संदर्भ में मूलभूत सुविधाओं की स्थापना, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जा रही हैं।

3–निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों की आवासीय सुविधाओं का सृजन, सुरूचिपूर्ण भोजनालय, साहसिक क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन, पार्किंग स्थलों के विकास एवं रज्जु मार्गों के विकास जैसे मनोरंजन के संसाधनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित करने हेतु देश–विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वरोजगार के लिये वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, उत्तराखण्ड अतिथि गृह (होम स्टे) आवास योजना, तथा उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना आदि भी संचालित की जा रही हैं।

4–पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि

पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास की विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये स्वदेशी निवेशकों, विदेशी पूंजी निवेश तथा अप्रवासी भारतीय नागरिकों को आमंत्रित किया जा रहा है। पर्यटन सेक्टर में वित्तीय संस्थाओ से सहायता प्राप्त करने की दिशा में राज्य शासन

की सहयोगी उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट कम्पनी (UDeC) तथा उत्तराखण्ड की ज्वाइंट वेंचर कम्पनी (UIPC) तथा IIDC Ltd. के माध्यम से पूंजी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा हैं।

5–मानव संसाधन का विकास

मानव संसाधन के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा जनपद देहरादून, टिहरी एवं अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेण्ट एवं कैटरिंग संस्थान स्थापित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकीय होटल मैनेजमैन्ट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून में 162, राजकीय होटल मैनेजमैन्ट एवं कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा में 109 तथा स्टेट इन्स्टीयूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान नई टिहरी में 71 छात्र/छात्राऐं, होटल प्रबन्ध के चार वर्षीय डिग्री कोर्स में अध्ययनरत् है। उपरोक्त होटल मैनेजमेण्ट संस्थान के अतिरिक्त भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से फूड क्रॉफ्ट संस्थान अल्मोड़ा एवं होटल प्रबन्धन संस्थान रामनगर की स्थापना की जा रही हैं।

6–प्रचार–प्रसार एंव पर्यटन विपणन

विभाग द्वारा चारधाम यात्रा शुभारम्भ के साथ ही समय–समय पर विभिन्न प्रमुख अंग्रेजी, हिन्दी व भाषायी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर चारधाम यात्रा का प्रचार–प्रसार किया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से नवरात्रि के अवसर पर राज्य में स्थित शक्ति, सीद्धपीठों एवं अन्य देवियों के मन्दिरों पर आधारित विज्ञापन को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। साथ ही माँ नन्दा देवी मेला 2017 जो कि अल्मोड़ा में आयोजित किया गया के उद्घाटन तथा समापन के अवसर पर भी विभिन्न समाचार पत्रों में विभागीय विज्ञापन प्रकाशित कर प्रचार–प्रसार किया गया। इसके अतिरिक्त माह जुलाई, 2017 को सर जार्ज एवरेस्ट के जन्मोत्सव के अवसर पर भी विभागीय विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

माह दिसम्बर 2017 में आयोजित मसूरी विन्टर कार्निवाल के अन्तर्गत टाईम्स ऑफ इण्डिया के सहयोग से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा फूड फैस्टिवल का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन से सम्बन्धित विभागीय विज्ञापन को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कर आयोजन का वृहद्ध रूप से प्रचार–प्रसार किया गया।

उत्तराखण्ड को देश–विदेश में पहचान दिलाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैवल मार्ट यथा डब्लयू0टी0एम0 लन्दन सहित ही राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर यथा (टी0टी0एफ0–कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुम्बई, सूरत, साटे–नई दिल्ली, इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रैवल मार्ट– बंगलौर, इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रैड इवेंट– इन्दौर, इण्डिया ट्रैवल मार्ट– लखनऊ भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–नई दिल्ली, इण्डियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटरस–भुवनेश्वर) में भी प्रतिभाग किया गया। उक्त आयोजनों में दोनों मण्डलीय निगमों, पर्यटन क्षेत्र की निजी संस्थाओं के साथ प्रतिभाग कर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया गया। उपरोक्त आयोजनों में विभाग द्वारा वैलनस, एडवेंचर, हैरिटेज तथा होमस्टे के कनसैप्ट पर आधारित मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी में स्थापित किया गया था।

7–तीर्थाटन का विकास

चारधाम यात्रा को यात्रियों/पर्यटकों हेतु और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करने हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी तीर्थाटन के समेकित विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गई है।

8–सांस्कृतिक पर्यटन का विकास

उत्तराखण्ड के पारम्परिक रीति रिवाजों, रहन–सहन, वेशभूषा, खान–पान आदि का व्यापक रूप से प्रचार करने तथा यहाँ की संस्कृति को देश व विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने के उददेश्य से यहां के विभिन्न प्रसिद्ध मेलों को वृहत स्तर पर आयोजित करवाया जा रहा है। इसकी झलक समय–समय पर प्रदेश के बाहर दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, जयपुर, सूरजकुण्ड(हरियाणा), लन्दन तथा बर्लिन में भी दिखाई जा चुकी है।

9–नैसर्गिक व पारिस्थितिकीय (इको टूरिज्म) पर्यटन का विकास

पर्यटन आकर्षण के विकास के उद्देश्य से जंगल सफारी, नेचर वाक, कैंपिग क्षेत्रों का विकास, जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिये वानस्पतिक उद्यान, सह–हेरिटेज सेन्टर्स की स्थापना, थीम पार्कस् का विकास तथा भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्रों में भवन के निर्माण में भूकंप रोधी प्रकिया के उपयोग के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग सतत् कियाशील है। यात्रा मार्ग में अवस्थित कूड़ा–कचरा को एकत्रित कर श्रीनगर में स्थापित किये गये गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के माध्यम से समाप्त कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार पर्यटन मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत मेगा सर्किट, सर्किट एंव डेस्टिनेशनों में भी सौलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु धनराशि का प्राविधान कर कार्य किये गये है।

10–मनोरंजन पर्यटन का विकास

रोपवे, मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स, चिल्ड्रन्स पार्क, झील सरोवर तथा दर्शनीय स्थलों के विकास एंव विस्तार की योजना के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रोपवें परियोजनाओं के अन्तर्गत ठुलीगाड–पूर्णागिरी एंव कद्दूखाल– सुरकुण्डा देवी रोपवें परियोजनाओं पर भी निजी निवेशक के माध्यम से योजनायें कियान्वित करवाई जा रही है।

11–विश्रामपरक (लेजर) पर्यटन का विकास

उत्तराखण्ड के प्राकृतिक स्थलों की ओर यात्रियों को आकर्षित कर ऐसे स्थलों पर यथासम्भव स्वास्थ्य केन्द्र, योग व ध्यान केन्द्रों की स्थापना के लिये भी निजी क्षेत्र को प्रोत्सहित किया जा रहा हैं। पर्यटन विभाग द्वारा योग पर्यटन को विकसित किये जाने हेतु गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा संचालित निम्न पर्यटक आवास गृहों में योगा तथा पंचक्रमा सेंन्टर ए0डी0बी0 पर्यटन के माध्यम से विकसित किये जा रहे है:–

1–पर्यटक आवास गृह गंगा रिसोर्ट ऋषिकेश।

2–पर्यटक आवास गृह टीप एण्ड टॉप लैन्सडाउन।

3–पर्यटक आवास गृह धनोल्टी।
4–पर्यटक आवास गृह सूखाताल।

5–पर्यटक आवास गृह कौसानी।
6–पर्यटक आवास गृह नौकुचियाताल।
7–पर्यटक आवास गृह चकोडी।
8–पर्यटक आवास गृह चिलियानुला।

12–संस्थागत पर्यटन (कारपोरेट टूरिज़्म)

उत्तराखण्ड में संस्थागत पर्यटन को बढावा देने के लिये उच्च श्रेणी के कन्वेंशन सेंटर, सभागारों आदि की स्थापना तथा संस्थागत गतिविधियों यथा सेमिनार, कार्यशालाओं इत्यादि को बढावा देने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा सूखाताल में आडिटोरियम एंव रिंक हाल का निर्माण कराया गया है।

13–पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग (सोविनियर) का विकास

पारम्परिक हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्पकारों को प्रशिक्षित कर उन्हें तैयार वस्तुओं को बेचने हेतु शिल्प बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में विभाग प्रयत्नशील है। पर्यटन विभाग की आवासीय इकाईयों में स्थानीय उत्पादित सोविनियर वस्तुओं के लिये सोविनियर शॉप के लिये स्थान उपलब्ध कराये जा रहे है।

14–ग्रामीण पर्यटन योजना

उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने हेतु कई नैसर्गिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व के गांव उपलब्ध हैं, इन ग्रामों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये वहां पर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत हार्डवेयर प्रोजेक्ट एवं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के विकास के कार्य सम्पादित किये जा रहे है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्रामीण पर्यटन के हार्डवेयर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न कार्यों को विभिन्न ग्रामीण ईकाईयों के माध्यम से सम्पादित करवाये गये है :–

1– ग्राम के आसपास का सौन्दर्यीकरण।
2– लैण्ड स्केपिंग का कार्य।
3– पार्को का विकास।
4– कम्पाउण्ड वॉल एवं फैन्सिंग।
5– पंचायत की सीमा के अन्दर गांव से जुडने वाले समस्त मार्गों का सुधार।
6– गांव में प्रकाश व्यवस्था।
7– सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट एवं सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था।
8– मार्गीय सुविधाओं का निर्माण।
9– जलक्रीडा, साहसिक क्रीडा सम्बन्धी उपकरणों का क्रय।
10– ईको फ्रैन्डली ट्रांसपोर्ट का कार्य।
11– स्मारकों का सौन्दर्यीकरण/सुधार।

12– साईनेज की स्थापना।
13– स्वागत कक्ष का निर्माण।
14– पर्यटन से सम्बन्धित अन्य कार्य।
15– पर्यटकों हेतु आवासीय व्यवस्था का निर्माण।

इसके अलावा सॉफटवेयर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्रामवासियों को एनजीओ के माध्यम से निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है–

1– फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का प्रशिक्षण कार्यक्रम
2– पर्यटन गतिविधि से सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम
3– जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम
4– होटलियर्स के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम
5– गाइडों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
6– स्किल ऑगमेंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम
7– डिजाईन एवं प्रोडक्ट डेवलपमैंट प्रशिक्षण कार्यक्रम
8– बेसिक इंगलिश प्रशिक्षण कार्यक्रम
9– वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप का प्रशिक्षण कार्यक्रम
10– पर्यटन व्यापार से सम्बन्धित कानूनी निर्देशों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
11– प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम
12– स्वास्थ्य एवं हाईजेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
13– पर्यटन, हॉस्पिटेलिटी, बिहेवियर, पर्यटन कम्युनिकेशन, पर्यटकों के लिये फूड एवं सर्विंग (आर्गेनिक फूड सहित) प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

उपरोक्त के अतिरिक्त ए0डी0बी0 पर्यटन के माध्यम से जनपद चामोली मे नीति, ग्राम पोगथ (कनकचौरी), जनपद देहरादून में ग्राम लाखामण्डल, ग्राम हनौल, जनपद रूद्रप्रयाग में तुंगनाथ, कविल्ठा, ग्राम दुर्गधर,ग्राम फलासी,जनपद टिहरी में ग्राम मुखेम तथा जनपद उत्तराकशी में ग्राम मुखवा, ग्राम हर्षिल, ग्राम बगोरी में हार्डवेयर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाये विकसित की जा रही है। साथ ही ए0डी0बी0 के माध्यम से 73 गांवों में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट संचालित किये जा रहे है।

उक्त के अतिरिक्त नगर क्षेत्रों को छोड कर उत्तराखण्ड के अन्य गांवो में पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजनान्तर्गत (व्यक्तिगत)/दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना संचालित की जानी प्रस्तावित है।

पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ग्रामीण र्यटन उत्थान योजनान्तर्गत (व्यक्तिगत)/दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना संचालित की जानी प्रस्तावित है। जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

1. स्थानीय लोगों को होम स्टे के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुये उनकी आर्थिकी को सबल करना।

2. पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों के Exposure के अतिरिक्त नये पर्यटन गन्तव्यों को विकसित करना।3–पर्यटकों को राज्य के व्यंजनों, संस्कृति, एतिहासिक धरोहरों, पारम्परिक/ पहाड़ी निर्माण शैली आदि से परिचित कराना।

4–प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से राज्य के राजस्व में वृद्धि करना।

15–पी0पी0पी0 मोडः–

1– पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये एंव जो यात्री पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनको सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ठुलीगाड–पूर्णागिरी, कददूखाल से सुरकुण्डा देवी घांघरिया से हेमकुण्ड रोपवें परियोजनायें" पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित करवायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त निजी कन्सलटेंट्स के द्वारा निम्न रज्जुमार्गों (Ropeways) की Techno economic feasibility study (TEFS) का कार्य गतिमान हैः–

- जानकी चट्टी–यमुनोत्री रोप–वे (खरसाली से यमुनोत्री) (उत्तरकाशी)
- मसूरी –देहरादून रोप–वे (पुरूकुल से मसूरी)
- केदारनाथ रोप–वे
- गोविन्द घाट से घांघरिया रोप–वे
- वाण से वेदनी बुग्याल
- मॉ बूगी देवी से हल्दूखाल
- डीडीहाट से श्रिराकोट मन्दिर।
- धारचूला से धारचूला कोट(छाना) तक रोप–वे
- गोई बरनाला से दयारा बुग्याल (स्की लिफ्ट)
- स्नो भ्यू से चीना पीक
- रानीबाग से नैनीताल तथा कालाढूगी से नैनीताल
- उल्का देवी मन्दिर से चण्डिका मन्दिर–असुरचूला मन्दिर तक रोप–वे
- धुनागिरी से ढिकाला/सरढुली (कार्बेट)
- नीलेश्वर पर्वत से भीलेश्वर पर्वत
- भीमताल से करकोटक
- चोपता से तुंगनाथ
- दीवा डांडा(रस्वाण)/झलपाडी विकास खण्ड पोखडा।
- भैरवगढी विकास खण्ड द्वारीखाल।
- बरसुण्डा देवता विकास खण्ड पोखडा।
- बिनसर विकास खण्ड एकेश्वर।
- दीवा (बीरोखाल) विकास खण्ड बीरोंखाल।
- असुरगढी विकास खण्ड बीरोंखाल।

2—विभागीय कार्यकलाप

राज्य की पर्यटन नीति के प्राविधानों के आधार पर एक अधिनियम के अधीन उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद गठित किया गया है। मा0 पर्यटन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार इसके पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन पदेन उपाध्यक्ष तथा सचिव पर्यटन इस परिषद के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इसके अतिरिक्त परिषद में एक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वे परिषद के सदस्य सचिव भी है। प्रमुख सचिव वित्त, वन, उर्जा, लोक निर्माण विभाग, परिवहन एवं नियोजन परिषद के पदेन सदस्य है। राज्य सरकार द्वारा नामित 5 गैर सरकारी सदस्य जो कि पर्यटन व्यवसाय एवं उद्योग में विशेष अनुभव रखते हैं, को परिषद में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल/प्रमुख यात्रा मार्गों यथा मसूरी, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, जोशीमठ, कौसानी, रानीखेत तथा रेलवे स्टेशन, काठगोदाम तथा हरिद्वार में पर्यटन स्वागत केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रदेश से बाहर नई दिल्ली में जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया गया हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में युवक एवं युवतियों को कुशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से विभाग के अधीन देहरादून व अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान तथा नई टिहरी में स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान का सफल संचालन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन विकास से सम्बन्धित निम्नवत् अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य किये जा रहे है:—

1— बस—अड्डा/पार्किंग स्थलों का निर्माण

ऋषिकेश में बस अड्डे का सुधार, श्रीनगर, पौड़ी, जोशीमठ, लाता—मलारी मार्ग जोशीमठ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग एंव पिथौरागढ़ में बस अड्डों का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा करवाया गया हैं। कोटद्वार, सहस्त्रधारा, कैम्प्टीफाल, मसूरी, रूद्रप्रयाग, काल्दूबगड़, बड़कोट, गौरीकुण्ड़ में बस अड्डे/पार्किंग स्थलो तथा यात्रा मार्ग के चमोली, पीपलकोटी, गोविन्दघाट एवं पाण्डुकेश्वर में भी पार्किंग स्थलों का निर्माण डी0जी0बी0आर0 के माध्यम से करवाया गया है। हरिद्वार में पं0 दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग का निर्माण, हरिद्वार ऋषिकेश मेगा पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत पूर्ण करवा कर जनउपयोग में लायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त चम्बा, रूद्रप्रयाग के रामपुर मसूरी में किकेंग कार पार्किंग तथा सहस्त्रधारा व जानकीचट्टी, भैरोंघाटी एंव लंका में 03 स्थलों परं पार्किंग स्थलों के निर्माण की योजनायें स्वीकृत की गई है। जिनमें से भैरोंघाटी एंव लंका में कार्य पूर्ण कर दिये गये है तथा शेष पार्किगों पर कार्य प्रगति पर है।

2– विद्युतीकरण

विद्युत आपूर्ति के लिये पर्यटन विभाग द्वारा चमोली एंव जोशीमठ में 66 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण करवाया गया है। बद्रीनाथ–केदारनाथ तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थलों पर पथ–प्रकाश की व्यवस्था करवाई गई है। नीलकंठ का विद्युतीकरण तथा मंसादेवी हरिद्वार में फ्लड लाईट, देवप्रयाग तथा बडकोट में पथ प्रकाश व्यवस्था, रानीखेत, चिलियानौला, बैजनाथ व बागेश्वर में हाई मास्ट विद्युत प्रकाश व्यवस्था पर कार्य पूर्ण हो गया है। जानकीचट्टी से यमुनोत्री तक स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था, मसूरी में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर कलात्मक प्रकाश व्यवस्था, पिरान कलियर में हाई मास्ट, गंगोत्री व घांघरिया में प्रकाश व्यवस्था, बद्रीनाथ में स्ट्रीट लाईट व हाई मास्ट लाईट व्यवस्था, रैथल व वार्सू में प्रकाश व्यवस्था, केदारनाथ धाम में विद्युतीकरण स्ट्रीट लाईट व लो मास्ट लाईट औली में स्ट्रीट लाईट, सहस्त्रधारा में हाईमास्ट एंव स्ट्रीट लाईट तथा रूद्रप्रयाग में प्रसाद योजना के अन्तर्गत एल0ई0डी0 लाईट का भी निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया है।

3– स्नानघाटों का निर्माण

उत्तराखण्ड में पवित्र संगम स्थलों एंव पवित्र नदियों के किनारे श्रीनगर, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, काल्दूबगड, चमोली, केदारनाथ अलकनंदा घाट कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार आदि स्थानों पर स्नानघाटों का निर्माण करवाया गया है। इसके अतिरिक्त कीर्तिनगर, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला, हरिद्वार, तपोवन आदि स्नानघाटों के निर्माण कार्य भी एक अल्प अवधि में पूर्ण करवाये गये है। निर्मल गंगोत्री मेगा पर्यटन सर्किट योजना के अन्तर्गत गंगोत्री में एंव पंचप्रयाग पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत कालीमठ, कालेश्वर, नन्दप्रयाग कर्णप्रयाग, गोचर में स्नानघाटों के निर्माण कर योजनायें जन उपयोग में लायी जा रही है।

6– जन सुविधाओं का निर्माण

यह महसूस किया गया कि शौचालयों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है,लोग खुले में शौच करते है जिससे महामारी का खतरा बना रहता है निर्णय लिया गया कि यात्रा मार्ग में प्रत्येक 20 से 25 कि0मी0 की दूरी जहां पानी की समुचित व्यवस्था हो वहां पर शौचालय बनाये जायें। तत्क्रम में विभाग द्वारा वर्तमान में गढ़वाल मण्डल में 134 स्थलों पर 1510 सीटस् तथा कुमॉऊ मण्डल में 56 स्थलों पर 429 सीटस् के शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल मण्डल में 8 स्थलों पर 55 सीटस् के शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6–मेगा पर्यटन सर्किट, पर्यटन सर्किट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फूड क्राफ्ट संस्थानः–

भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2004–05 से वर्ष 2013–14 तक विभिन्न मेगा सर्किट, सर्किट, डेस्टिेशनों के अन्तर्गत 58 स्थलों पर विभिन्न योजनाओं हेतु रू0 46247.99 लाख की स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार पर्यटन मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 से ''स्वदेश दर्शन'' तथा ''प्रसाद'' योजना प्रारम्भ की गयी है। इन योजनाओं के अन्तर्गत टिहरी झील क्षेत्र में

ईको, साहसिक एंव अन्य पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास, कुमांऊ क्षेत्र में कटारमल, जागेश्वर, बैजनाथ, देवीधूरा का हैरिटेज सर्किट के रूप में विकास तथा केदारनाथ क्षेत्र का समेकित विकास हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से विकास कार्य किया जा रहा है।

7– साहसिक पर्यटनः–

उत्तराखण्ड में हिमाच्छादित पर्वत श्रंखलाएं, बुग्याल, फ्लोरा–फौना, प्रसिद्ध पौराणिक मन्दिर, सदानीरा नदियों के साथ ही धर्म एवं संस्कृति के साक्षात्कार करने हेतु देश विदेश से पधारने वाले यात्री एवं पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाये जाते हैं, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ता के साथ ही रोजगार के साधन विकसित हुए हैं।

8–वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

उत्तराखण्ड वासियों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा पर्यटन विकास में स्थानीय सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 01 जून, 2002 से प्रारम्भ की गयी । इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों यथा बस/टैक्सी परिवहन सुविधाओं का विकास, फास्ट फूड सेन्टर्स की स्थापना, मोटर वर्कशॉप/गैराजों की स्थापना, आवासीय सुविधाओं की स्थापना, टैन्टेज आवासीय सुविधाओं की स्थापना, स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र, पी0सी0ओ0 सुविधायुक्त पर्यटन सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट का निर्माण, साहसिक पर्यटन क्रियाकलापों हेतु उपकरण की व्यवस्था एवं साधना कुटीर एवं योग ध्यान केन्द्रों के विकास के लिए किये गये पूंजी निवेश पर राज सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का दायरा बढाते हुये इसमें अन्य पर्यटन व्यवसायों यथा Terrain Bikes का संचालय, कैरेवन टूरिज्म का विकास, एंगलिंग उपकरणों का क्रय, स्टार गेजिंग हेतु उपकरणों का क्रय, आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटन सूचना केन्द्र, लॉन्ड्री की स्थापना, बैकरी की स्थापना, फूड प्रोसेंसिग (स्थानीय उत्पादों से जैम, जैली, सॉस, जूस आदि तैयार करना तथा मैमोराबिलिया युक्त संग्राहलय की स्थापना आदि को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

विभाग द्वारा चारधाम यात्रा शुभारम्भ के साथ ही समय–समय पर विभिन्न प्रमुख अंग्रेजी, हिन्दी व भाषायी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर चारधाम यात्रा का प्रचार–प्रसार किया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से नवरात्रि के अवसर पर राज्य में स्थित शक्ति, सीद्धपीठों एवं अन्य देवियों के मन्दिरों पर आधारित विज्ञापन को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। साथ ही माँ नन्दा देवी मेला 2017 जो कि अल्मोड़ा में आयोजित किया गया के उद्घाटन तथा समापन के अवसर पर भी विभिन्न समाचार पत्रों में विभागीय विज्ञापन प्रकाशित कर प्रचार–प्रसार किया गया। इसके अतिरिक्त माह जुलाई, 2017 को सर जार्ज एवरेस्ट के जन्मोत्सव के अवसर पर भी विभागीय विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

मसूरी विन्टर कार्निवाल के अन्तर्गत टाईम्स ऑफ इण्डिया के सहयोग से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा फूड फैस्टिवल का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन से सम्बन्धित विभागीय विज्ञापन को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कर आयोजन का वृहद्ध रूप से प्रचार–प्रसार किया गया।

9–योजनाओं के निस्तारण हेतु निर्धारित मानक

1– अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना का पंजीकरण

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर क्षेत्रीय/जिला पर्यटन विकास अधिकारी पंजीकरण हेतु समस्त कार्यवाही आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायेंगे।

2–रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग अनुज्ञा पत्र जारी करना

व्यवसायिक उद्देश्य से रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग अनुज्ञा के इच्छुक आवेदक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून को प्राप्त आवेदन पत्र तकनीकी समिति के निरीक्षण के पश्चात् सभी आवेदक को अधिकतम 45 दिन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा कारणों सहित अनुज्ञा के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

3–उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014–यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण

इस योजना के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यालय में भिन्न–भिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की सम्यक जाँच के उपरान्त पंजीकरण की कार्यवाही अथवा निरस्त करने के कारणों को अवगत कराते हुये आवेदन पत्र का निस्तारण 60 दिनों की अवधि में किया जायेगा। ऐसा न होने की दशा में आवेदक के पंजीकरण को स्वतः ही स्वीकृत समझा जाएगा।

उपरोक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के समस्त जनपदीय कार्यालय में इस हेतु क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी तथा संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा सेवा के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण आयोग द्वारा निर्धारित प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर सम्पादित किया जायेगा।

3–संगठनात्मक संरचना

क0सं0	पदनाम	कुल स्वीकृत पद
01	पर्यटन निदेशालय/पर्यटन विकास परिषद्	
	सचिव पर्यटन पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पदेन महानिदेशक पर्यटन	
	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी)	01
	समूह–क	13
	समूह–ख	17
	समूह–ग	155
	समूह–घ	48
02	राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून/अल्मोडा	
	समूह–क	06
	समूह–ख	12
	समूह–ग	56
	समूह–घ	26
	संविदा/नियत वेतन/अतिथि संकाय	
	समूह–ख	04
	समूह–ग	08
	समूह–घ	24
03	स्टेट इन्स्टीयूट ऑफ होटल मैनेजमैंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान, नई टिहरी	
	समूह–क	05
	समूह–ख	11
	समूह–ग	13
	समूह–घ	08
	आउटसोर्स से	21
04	केदारनाथ विकास प्राधिकरण	
	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/पदेन जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	01
	समूह–क	01
	समूह–ख	02
	समूह–ग	07
	समूह–घ	–
	आउटसोर्स से	03
05	टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल	
	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/पदेन जिलाधिकारी टिहरी	01
	समूह–क	01
	समूह–ख	02
	समूह–ग	09
	समूह–घ	–
	आउटसोर्स से	11
	कुल योग	466

4–भविष्य की कार्ययोजना

- स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत महाभारत सर्किट तथा एडवेन्चर सर्किट (उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एंव बागेश्वर) तथा प्रसाद योजना के अनतर्गत बद्रीनाथ धाम में अवस्थापना सुविधायें विकसित की जायेगी।
- ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा 36 गॉवों का चयन प्रथम चरण में चयन किया गया है जिनको विकसित किया जायेगा।
- होम–स्टे योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत कर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी है जिसका लाभ भविष्य में इस योजना को वृहत्त स्तर पर लागू करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत जनपद स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में अवस्थित इकाईयों को पंजीकृत किया जायेगा। पंजीकृत इकाईयों का विभाग द्वारा प्रचार–प्रसार किया जायेगा। विभाग द्वारा शीघ्र ही होम–स्टे पॉलिसी प्रख्यापित की जानी प्रस्तावित है। जिसके माध्यम से अनुदान प्रदान कर होम स्टे निर्मित/विकसित किये जाने हेतु प्रदेशवासियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- पी0पी0पी0 मोड़ पर प्रदेश के दुर्गम एंव अति दुर्गम क्षेत्र में रोपवें/फर्नीक्यूलर परियोजनायें निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित की जायेगी।
- ए0डी0बी0 की सहायता से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये किये जाने वाले कार्यो पूर्ण कराकर जनउपयोग में लाया जायेगा।
- पर्यटन नीति को वर्तमान परिपेक्ष्य में संशोधित/गठित किया जायेगा।
- आवास विभाग की लैण्ड पूलिंग पॉलिसी को विभाग द्वारा Adopt कर पर्यटन विभाग द्वारा लैण्ड बैंक तैयार कर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु निजी निवेशकों को मूलभूत सुविधायें प्रदान कर आकर्षित किया जायेगा।
- बाह्य सहायतित योजना में JICA सहायतित रोपवें एंव फ्यूनिकूलर के निर्माण हेतु प्रेषित DPR रू0 1400.00 करोड़ पर स्वीकृत प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगे।
- बाह्य सहायतित योजना में ADB सहायतित टिहरी झील के आस–पास मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रेषित DPR रू0 1400.00 करोड़ पर स्वीकृत प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगे।
- पर्यटन विभाग द्वारा टिहरी झील को अन्तराष्ट्रीय डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने तथा झील के आस–पास सुनियोजित विकास के उद्देश्य से प्रोस्पैक्टिव प्लान तैयार किया गया है। जिसके अन्तर्गत निजी निवेशको के माध्यम से निम्न स्थलों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है:–
- 1– कोटी अठूर में उच्च स्तरीय होटल
- 2– गोरना–1 में वैलनेस रेस्टोरेन्ट,
- 3– गजाणा–2 में थीम रेस्टोरेन्ट,

- 4– गजाणा(अठूर) मे हिल साईट रेस्टोरेन्ट
- 5– गोरणा–2 में योगा इन्स्टीट्यूट विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- साहसिक पर्यटन को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से ए0डी0बी0 पर्यटन के माध्यम टिहरी मे एडवेन्चर सेन्टर विकसित किया गया है जिसका संचालन पी0पी0पी0 मोड में किया जाना प्रस्तावित है साथ ही उत्तराखण्ड अन्य जनपदों में यथा पौडी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ तथा चम्पावत मे भी ए0डी0बी0 के माध्यम सें एडवेन्चर सेन्टर स्थापित किये जा रहे है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे राफ्टिंग, क्याकिंग,एंगलिग,रॉक कलाईम्बिग,ट्रैकिंग, माउन्टेन बाईकिंग,एरो स्पोंटस, कैम्पिंग आदि सहासिक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

सम्पर्क करें

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्,
ई–मेलः– ceo.tourism.uk@gmail.com
दूरभाषः–0135–2559987

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्
ई–मेलः– aceo.utdbhq@gmail.com
दूरभाषः–0135–2559900

****
****

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना

उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे पर्यटक स्थल अवस्थित हैं जो कि अपनी नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुये है, किन्तु उन स्थलों पर पर्यटकों हेतु उचित आवास एवं खान–पान की सुविधा न होने के कारण वे इन पर्यटक स्थलों का आनन्द लेने से वंचित रह जाते हैं। अतिथि उत्तरांखण्ड आवास (होम स्टे) नियमावली के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ दूरस्थ पर्यटक क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु, स्तरीय आवासीय सुविधा बढाने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा भवन स्वामियों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली तैयार की गयी है ।

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के शुभारंभ के पीछे मूल विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिये एक साफ और किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी संस्कृति का अनुभव एवं परंपराओं को समझने और भारतीय/उत्तराखण्डी व्यंजनों का लुफ्त उठाने का अवसर मिलेगा।

इस योजना के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों को तीन श्रेणियों गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मे वर्गीकृत किया गया है । अधिष्ठान/भवन में उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन, इस नियमावली में परिभाजित सेवा स्तरों के आधार पर करते हुये समिति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में इकाईयों का रू0 500.00 पंजीकरण शुल्क प्राप्त कर पंजीकरण किया जाता है। नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण 02 वर्ष हेतु किया जाता है। पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 03 माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है। नियमावली के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों के पंजीकरण को प्रमुखता दी जाती है जो साज–सज्जा, व्यजन प्रस्तुतिकरण में विशुद्व उत्तराखण्डी परम्पराओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करती हों ।

भवन के पंजीकरण हेतु शर्तेः–

1–आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें निवास करता हो ।

2–इकाई के पंजीकरण हेतु शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है ।

3– भवन में शौचालयों का होना अनिवार्य है तथा इसकी सफाई व्यवस्था तथा आनाशित कूडा कचरे के उचित निस्तारण का दायित्व गृह स्वामी का है ।

4– विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित सुविधायें जो कि भवन में होनी आवश्यक है को चौक लिस्ट तैयार कर वर्णित किया गया है ।

आवेदन की प्रक्रियाः–

इस नियमावली के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में अथवा ऑनलाईन पंजीकरण पर्यटन विभाग की वेबसाईट www.uttarakhandtourism.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं ।

इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि 25 फरवरी 2016 से मार्च 2018 तक प्रदेश में कुल 335 अधिष्ठान/ भवन पंजीकृत किये गये हैं ।

"दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना"

उत्तराखण्ड राज्य में नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुये अनेकों पर्यटक स्थल अवस्तित हैं। इनमें से कई पर्यटक स्थल सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ पर कि पर्यटकों हेतु उचित आवासीय एवं खान–पान की सुबिधा सुलभ न होने के कारण देशी एवं विदेशी पर्यटक ऐसे स्थलों का भ्रमण /आनन्द लेने से वंचित रह जाते हैं। इसी लिये पर्यटकों को स्तरीय आवासीय एवं खान–पान की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु गृह आवास (होम–स्टे) के सुचारू संचालन के लिये नियम बनाते हुये अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) नियमावली गठित की गयी है जो कि सम्पूर्ण प्रदेश में होम–स्टे पंजीकरण हेतु संचालित है ।

वर्तमान में स्थानीय व्यक्तियों को होम–स्टे स्थापित/विकसित किये जाने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई योजना विधमान नही है। इसलिये देशी विदेशी पर्यटकों को स्थानीय परिवार के साथ रहने, उनकी संस्कृति का अनुभव व परम्पराओं को समझने एवं भारतीय एवं उत्तराखण्डी व्यजनों के स्वाद के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हुये स्थानीय व्यक्तियों को इस व्यवसाय से जुडने हेतु दिनांक 20 अप्रैल 2018 से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली गठित की गयी है **जो नगर निगम क्षेत्र को छोडकर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी।**

इस नियमावली के अन्तर्गत नये होम–स्टे विकसित करने के अतिरिक्त पुराने भवनों की आन्तरिक साज–सज्जा, विस्तारीकरण /नवीनीकरण/सुधारीकरण/शौचालयों का उच्चीकरण आदि हेतु राज सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है । पारम्परिक/ पहाडी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी। राजकीय सहायता की धनराशि मूल सब्सडी (Capital Subsidy) एवं ब्याज पर (Interest Subsidy)का संयोजन होगी । इसमें पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या रू 7.50 लाख, इसमें जो भी कम हो, को मूल सब्सडी के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 33 प्रतिशत या रू0 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, को Capital Subsidy के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा

प्रख्यापित ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 एवं संशोधन 2016'' के अन्तर्गत श्रेणी–ए, बी, एवं सी को इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं श्रेणी–डी को मैदानी क्षेत्र माना जायेगा ।